संख्या-81/2015/1727/26-3-2015-4(39)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 अगस्त 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 मे अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् कक्षा 9 व 10 छात्रवृत्ति योजना के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 में प्राविधानित धनराशि से गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास विभाग के पत्रांक-78/07/ज.जा.वि पूर्वदशम/2015-16, दिनांक-03.066.20155 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा-9 व 10 के 417 छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये-9,25,950.00 (रूपये नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ पचास मात्र) जो पी.एफ.एम.एस सर्वर की तकनीकी गडबडी के कारण कोषागार से आहरित न होने से समर्पित हो गयी थी, को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृं0 संख्या-81/2015/1727 (1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in